

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 207
21.07.2025 को उत्तर के लिए
देश में वायु प्रदूषण का बढ़ना

207. श्री अनिल यशवंत देसाई :

श्री बाबू सिंह कुशवाहा :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में प्रदूषण स्तर से संबंधित आंकड़े क्या हैं और विश्व के अन्य शहरों के साथ इसकी तुलना में इसका स्तर क्या है;
- (ख) क्या देश के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी शहरवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या विगत कुछ वर्षों में देश में वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप मरने वाले लोगों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या क्या है;
- (घ) विगत पांच वर्षों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवंटित की गई और उपयोग की गई राशि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (च) क्या सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और अगले पांच वर्षों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को 50 से नीचे लाने के लिए किसी कार्ययोजना पर काम कर रही है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की किसी कार्य-योजना पर विचार करेगी?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

सभी शहरों द्वारा अपने-अपने शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिटटी और सड़क की धूल, वाहनों के उत्सर्जन, अपशिष्ट दहन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित करती हैं।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख भारतीय शहरों में पीएम₁₀ के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुंबई ने वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 44% की कमी के साथ पीएम₁₀ के स्तर में सुधार देखा गया है, इसके बाद कोलकाता (37%), दिल्ली (15%), और चेन्नई (12%) का स्थान है। वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2024-25 के संबंध में पीएम₁₀ डेटा और वित्त वर्ष 2024-25 में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के पीएम₁₀ सांदर्भ में प्रतिशत सुधार अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। ये सुधार एनसीएपी के तहत कार्यान्वित किए गए विभिन्न वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी उपायों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं।

भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम की स्थिति तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों में अंतर के कारण विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर की सीधे तुलना नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक देश अपने स्वयं के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) का पालन करता है, जो अलग-अलग होते हैं और सीधे तुलनीय नहीं होते।

एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों द्वारा की गई केंद्रित कार्रवाइयों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इनमें से 103 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में 2024-25 में पीएम₁₀ की सांदर्भता में कमी देखी गई है। 64 शहरों में आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में पीएम₁₀ के स्तर में 20% से अधिक की कमी देखी गई है और इनमें से 25 शहरों में 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। कुल 22 शहरों ने एनएएक्यूएस (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है और इनमें पीएम₁₀ की सांदर्भता $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम है। एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का व्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर विभिन्न संगठनों द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं, जो श्वसन संबंधी बीमारियों और उससे जुड़ी बीमारियों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है। हालाँकि, वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य पर पर्यावरण के अलावा कई कारकों का संचयी प्रभाव से प्रभाव पड़ता है, जिनमें व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी पूर्व-स्थिति का विवरण, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

(घ) एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले 130 शहरों में से, 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों/शहरी समूहों को वायु गुणवत्ता कार्य संबंधी अनुदान के रूप में 15वें वित्त आयोग के मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के तहत वित्त पोषित किया गया है, और शेष 82 शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्तपोषित किया गया है। वायु गुणवत्ता सुधार उपायों का कार्यान्वयन करने हेतु महत्वपूर्ण अंतराल निधि के लिए 130 शहरों को 13,036.52 करोड़ रुपये का कार्य-आधारित अनुदान प्रदान किया गया है। वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक एनसीएपी और पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत जारी की गई एवं उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

(ङ) वाहन और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण सहित वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता सुधार के संबंध में दिल्ली में उठाए गए विशिष्ट उपाय अनुलग्नक-V में दिए गए हैं।

(च) और (छ) भारत सरकार ने पीएम10 सांद्रता में कमी लाने के उद्देश्य से देश भर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है।

एनसीएपी के तहत शहरों में वार्षिक औसत पीएम₁₀ सांद्रता में कमी और अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में वृद्धि (वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से कम) के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

अनुलग्नक-।

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में
पीएम10 सांद्रता में सुधार

क्र.सं.	शहर	2017-2018	2024-25	वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 2024- 25 में % सुधार
		पीएम ₁₀ की औसत सांद्रता (वित्त वर्ष) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	पीएम ₁₀ की औसत सांद्रता (वित्त वर्ष) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
1	मुंबई	161	90	44
2	कोलकाता	147	92	37
3	दिल्ली	241	203	15
4	चेन्नई	66	58	12

वित्त वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों में पीएम₁₀ सांद्रता में सुधार

क्र.सं.	शहर	2017-2018	2024-25	वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 2024-25 में सुधार %
		पीएम ₁₀ की औसत सांद्रता (वित्त वर्ष) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	पीएम ₁₀ की औसत सांद्रता (वित्त वर्ष) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
1	बरेली	207	48	76.8
2	वाराणसी	230	59	74.3
3	फिरोजाबाद	247	100	59.5
4	देहरादून	250	107	57.2
5	मुरादाबाद	222	96	56.8
6	कानपुर	227	102	55.1
7	तूतीकोरिन	123	56	54.5
8	नालागढ़	146	68	53.4
9	आगरा	202	103	49.0
10	धनबाद	315	166	47.3
11	गाजियाबाद	285	154	46.0
12	रायबरेली	145	79	45.5
13	सूरत	130	71	45.4
14	झांसी	109	60	45.0
15	जालंधर	178	99	44.4
16	ग्रेटर मुंबई	161	90	44.1
17	कोहिमा	127	71	44.1
18	बर्नीहाट	175	98	44.0
19	लखनऊ	253	142	43.9
20	बदलापुर	160	90	43.8
21	श्रीनगर	132*	76	42.4
22	इलाहाबाद	169	99	41.4
23	उल्हासनगर	153	90	41.2
24	अमृतसर	189	112	40.7
25	राजकोट	150	89	40.7
26	सुंदर नगर	78	47	39.7
27	बद्री	174	108	37.9
28	कोलकाता	147	92	37.4
29	अहमदाबाद	164	103	37.2

30	फरीदाबाद	229*	147	35.8
31	जोधपुर	189	122	35.4
32	त्रिची	88	57	35.2
33	नोएडा	229	149	34.9
34	ऋषिकेश	129	84	34.9
35	थाइन	138	90	34.8
36	हावड़ा	139	92	33.8
37	अकोला	111	74	33.3
38	नयानांगल	87	58	33.3
39	वडोदरा	133	90	32.3
40	अलवर	152	105	30.9
41	राजमुंदरी	85	59	30.6
42	गोरखपुर	150	105	30.0
43	विजयवाड़ा	91	64	29.7
44	खन्ना	142	101	28.9
45	काला अंब	118	84	28.8
46	जबलपुर	101	73	27.7
47	गजरौला	204	148	27.5
48	परवाणू	66	48	27.3
49	डेरा बाबा नानक	79	58	26.6
50	हैदराबाद	110	81	26.4
51	बैंगलुरु	92	68	26.1
52	अमरावती	102	76	25.5
53	कडपा	75	56	25.3
54	शिवसागर	73	55	24.7
55	रांची	141	107	24.1
56	कुरनूल	79	60	24.1
57	लुधियाना	168	129	23.2
58	अनंतपुर	78	60	23.1
59	देवनागेरे	74	57	23.0
60	हुबली, धारवाड	79	61	22.8
61	दीमापुर	142	112	21.1
62	जम्मू	157	124	21.0
63	नगांव	82	65	20.7
64	नेल्लोर	64	51	20.3
65	दुर्ग मिलाईनगर	86	69	19.8
66	खुर्जा	195	159	18.5

67	लातूर	82	67	18.3
68	जयपुर	172	142	17.4
69	कोटा	139	115	17.3
70	मेरठ	159	133	16.4
71	मंडी गोबिंदगढ़	148	124	16.2
72	दिल्ली	241	203	15.8
73	मदुरै	72	61	15.3
74	सांगली	87	74	14.9
75	चितूर	70	60	14.3
76	पटियाला	106	91	14.2
77	उज्जैन	93	80	14.0
78	चेन्नई	66	58	12.1
79	हल्दिया	92	81	12.0
80	अनपरा	175	155	11.4
81	एलुरु	72	64	11.1
82	मुजफ्फरपुर	147	131	10.9
83	आसनसोल	147	131	10.9
84	आँगोल	65	58	10.8
85	वसई विरार	99	90	9.1
86	कोल्हापुर	89	81	9.0
87	पुणे	102	93	8.8
88	नागपुर	100	92	8.0
89	नासिक	82	76	7.3
90	ग्वालियर	126	117	7.1
91	जलना	99	93	6.1
92	काशीपुर	99	93	6.1
93	चंद्रपुर	118	111	5.9
94	गुलबर्गा / कलबुर्गी	55	52	5.5
95	उदयपुर	127	121	4.7
96	भोपाल	112	107	4.5
97	कटक	93	89	4.3
98	पांवटा साहिब	84	81	3.6
99	गुंटूर	66	64	3.0
100	गुवाहाटी	103	100	2.9
101	पटना	172	167	2.9
102	नलबाड़ी	87	85	2.3
103	दुर्गापुर	150	149	0.7

104	चंडीगढ़	114	114	0.0
105	कलिंग नगर	109	109	0.0
106	भुवनेश्वर	85	86	-1.2
107	संगारेडी	85	86	-1.2
108	इंदौर	82	83	-1.2
109	दमताल	55	56	-1.8
110	नवी मुंबई	88	90	-2.3
111	सोलापुर	81	83	-2.5
112	विजयनगरम	72	74	-2.8
113	देवास	83	86	-3.6
114	तालचेर	113	119	-5.3
115	बैरकपुर	86	92	-7.0
116	रायपुर	70	75	-7.1
117	जमशेदपुर	135	145	-7.4
118	सागर	73	79	-8.2
119	गया	79	87	-10.1
120	सिल्चर	49	54	-10.2
121	बालासोर	84	93	-10.7
122	डेराबस्सी	88	98	-11.4
123	रात्रकेला	99	111	-12.1
124	श्रीकाकुलम	69	79	-14.5
125	अंगुल	97	116	-19.6
126	कोरबा	57	69	-21.1
127	नलगोड़ा	59	78	-32.2
128	जलगांव	70	93	-32.9
129	विशाखापत्तनम	76	101	-32.9
130	ओरंगाबाद	75	100	-33.3

*फरीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के पीएम₁₀ के स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फरीदाबाद के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के पीएम₁₀ के स्तर और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के पीएम₁₀ के स्तर को आधार रखा माना गया है।

अनुलग्नक-III

वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक (आज तक) एनसीएपी और पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत
राज्यवार स्वीकृत निधि और उपयोग का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी किया	उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	384.17	194.06
2	असम	89.70	56.80
3	बिहार	369.34	285.72
4	चंडीगढ़	38.09	31.17
5	छत्तीसगढ़	300.42	191.30
6	दिल्ली	62.03	13.94
7	गुजरात	1282.98	957.51
8	हरियाणा	107.14	43.73
9	हिमाचल प्रदेश	20.18	15.32
10	जम्मू और कश्मीर	151.97	61.43
11	झारखण्ड	279.44	177.08
12	कर्नाटक	611.72	356.40
13	मध्य प्रदेश	820.04	639.69
14	महाराष्ट्र	1774.62	1417.18
15	मेघालय	10.05	5.72
16	नागालैंड	25.56	18.33
17	ओडिशा	91.07	72.50
18	पंजाब	325.77	215.46
19	राजस्थान	680.38	572.45
20	तमिलनाडु	652.24	537.35
21	तेलंगाना	737.80	443.92
22	उत्तर प्रदेश	2822.98	1935.66
23	उत्तराखण्ड	85.615	53.18
24	पश्चिम बंगाल	1313.21	906.31
	कुल	13036.52	9202.21

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायः

- i. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
- ii. 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों की ओर बढ़ना।
- iii. वाहन स्क्रैपिंग नीति, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियम।
- iv. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा 100% राख उपयोग के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम।
- v. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले (पेलेट्स/ब्रिकेट्स) के साथ न्यूनतम 5% फसल अवशिष्टों के उपयोग का अधिदेश।
- vi. व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को गंभीर और अति गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए/एसपीए) के रूप में वर्गीकृत करना।
- vii. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे कि 01 अप्रैल, 2018 से दिल्ली में और 01 अप्रैल, 2020 से देश के बाकी हिस्सों में वाहनों के लिए बीएस-VI ईंधन मानदंड लागू करना, वाहन स्क्रैपिंग नीति कार्यान्वित करना और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देना।
- viii. साथ में, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत, कुल 57,613 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से 13,778 करोड़ रुपये का आवंटन इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के माध्यम से शहरी परिवहन को बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है।
- ix. इसके अलावा, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है।
- x. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यावधि-समाप्त वाहनों के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए 06.01.2025 को पर्यावरण संरक्षण (जीवन-अंत वाहन) नियम, 2025 अधिसूचित किया।
- xi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम 2.0) योजना के तहत, 130 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं शुरू की गई हैं।

- xii. खुले में अपशिष्ट जलाने की समस्या से निपटने के लिए, जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) ऐप विकसित किया गया है और इसे सभी 130 शहरों में नागरिकों द्वारा शिकायतों के ॲनलाइन पंजीकरण और स्थानीय निकायों द्वारा त्वरित समाधान के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, एनसीएपी के तहत स्थानीय निकायों को अपशिष्ट जलाने के लिए उन संवेदनशील स्थानों को साफ़ करने के निर्देश दिए हैं जहां खुले में अपशिष्ट जलाए जाने की अधिक संभावना है।
- xiii. औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति तंत्र के माध्यम से तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लागू ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय मंजूरी के माध्यम से की जाती है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणियों के उद्योगों को ॲनलाइन उत्सर्जन एवं उत्प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

वायु गुणवत्ता सुधार के संबंध में दिल्ली में किए गए विशिष्ट उपायः

- i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ समन्वय में एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं के समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए किया गया है।
- ii. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में अचानक वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए सीएक्यूएम द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जीआरएपी के अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्य किए जाते हैं।
- iii. विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय निर्धारित करने के निर्देश, जैसे कि डीजी सेटों में आरईसीडी प्रणाली/दोहरे ईंधन किट का कार्यान्वयन, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल ईंधन का उपयोग, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन आदि, सीएक्यूएम द्वारा जारी किए गए हैं।
- iv. सीएक्यूएम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसों को स्वच्छ परिवहन साधनों में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच सभी राज्य सरकार की बस सेवाएँ 01.11.2023 से केवल इलेक्ट्रिक/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से ही संचालित की जाएँगी।
- v. दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास के सह-ज्वलन के लिए निर्देश जारी किए हैं।
- vi. दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की गई है।
- vii. दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित हो गई हैं, तथा एनसीआर में परिचालन इकाइयां पीएनजी/बायोमास में परिवर्तित हो गई हैं।
- viii. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट भट्टों को जिग-जैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- ix. एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर 24 अक्टूबर, 2017 से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

- x. दिल्ली में दिनांक 01.01.2023 से एक स्वीकृत ईंधन सूची प्रवर्तन में है। एनसीआर में तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रियागत आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधनों की आवश्यकता के अलावा केवल पीएनजी या बायोमास पर चलने वाले उद्योगों को अनुमति दी गई है।
- xi. एनसीआर में अनुपालन हेतु बायोमास आधारित बॉयलरों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- xii. एनसीआर में डीपीसीसी और एसपीसीबी को निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और अन्य धूल नियंत्रण उपायों की स्थापना करने के निर्देश जारी किए गए।
- xiii. एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए।
- xiv. निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया है।
- xv. दिसंबर 2021 से सीपीसीबी द्वारा 40 टीमों को सीएक्यूएम की सहायता के लिए, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों, निर्माण एवं विध्वंस साइटों, डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कार्यान्वयन स्थिति और वायु (पीएंडसीपी) अधिनियम, 1981 के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जा सके।
